

2

260490

... 20/3/14 ...

कितने प्राप्त हुआ गोरीपुरं इहमान

क्रि. सं. ... गोरीपुरं इहमान

क्रि. सं. ... खमनोक पोटा खमनोक

क्रि. सं. ... लखनऊ जिला-ब्रिहितास

क्रि. सं. ... लखनऊ संसद निवासी

क्रि. सं. ... निवासी कुएँ की शाखा

रकम ... 25000/-

रकम के रूप में ...

कुल ... 25000/-
गोपी लखनऊ (केवल ... रूप में ... से)

[Signature]

प्राप्त करने का पदाधिकारी।

तारीख ... 25/3/14

25/3/14
जिला नानौर (मिर्जापुर)

लखनऊ

[प्रारूप 2 क,]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है

मैं.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम.....

इनका डाक पता.....

इनका नाम.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यामें क्रम संख्या.....ए

मेरा नाम.....है जो.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....

.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग.....

में क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।

दिनांक.....

निर्वाचक पदाधिकारी,

33 - बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ।

महाशय,

मैं 33 - बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु नाम - निर्देशन हुआ

हूँ। मैं मतपत्र में अपना नाम निम्न रूप से मुद्रित करने हेतु अनुरोध करता हूँ ।

मतपत्र में हिन्दी में नाम मुद्रण का हिज्जे	मतपत्र में अंग्रेजी में नाम मुद्रण का हिज्जे

विश्वासभाजन

Mohiuzzaman

(अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर)

निर्दलीय / राजनैतिक दल का नाम

Jamla dal Paschim Nadi

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

8533101005843

MONIBUR RAHMAN ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ Account No.


Agriculturist
S/O LATE MONIBUR RAHMAN, VILL+ PO - BABHNOUL
P.S. - DAWATH, ROHTAS-202211-BH-INDIA

Mention 13 digit account number
for all inward RTGS/NEFT
remittances and enjoy hassle free
direct credit to your account

84074003

ಜನ್ಮ ತಿಥಿ Date of Birth 10/06/1976

26-MAR-2014



ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ Account No

अनुसूची 14—कारम सं० 511.

क्रि.सं. 260490
दिनांक 20/3/14

किससे प्राप्त हुआ मोनीपुर इरुमान
क्रि.सं. मोनीपुर इरुमान
आप - खमनोक पो - खमनोक
ग्राम - दावथ, जिला - कोडुताप
रकम
कुल 25000.00
नाम निदेशक कुल की राशि
नकद

स्टाम्प के रूप में

कुल 25000.00
मो.प. पञ्चीस हजार रुपये मात्र

(केवल रुपये में)

प्राप्त करने का पदाधिकारी।

25/3/14
तारीख 25/3/14 जिला नागौर (निदेशक)

लपटा

जनता दल राष्ट्रवादी جنتا دل راشٹروادی
JANTA DAL RASHTRAVAD

55260



दिलीप कुमार चौधरी

प्रदेश अध्यक्ष
जनता दल राष्ट्रवादी

अभिप्रमाणित करता हूँ कि मोनीबुर रहमान पि
स्व० मोजीबुर रहमान को जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी
के बक्सर लोकसभा क्षेत्र सं० 33 के प्रत्याशी के रूप
में मानोनित किया जाता है।



(दिलीप कुमार चौधरी)
प्रदेश अध्यक्ष
जनता दल राष्ट्रवादी

Haroon Nag

1, Road No -05, Phul

Patna -01

ar



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

BY SPEED POST
निर्वाचन सदन

NIRVACHAN SADAN

अशोक रोड, नई दिल्ली -
ASHOKA ROAD, NEW DELHI

001

110 001

No. 56/89/2013/PPS-I

Dated: 16th January, 2014

The President,
Janta Dal Rashtravadi,
House No. 55 E, Haroon Nagar Colony,
Sector - 1, S. & P. Phulwari Sharif,
Patna - 801 505
Bihar.

Subject: - **"Janta Dal Rashtravadi"** - Registration under Section 29A of Representation of the People Act, 1951, as a political party - Regarding

I am directed to state that the Election Commission of India, after having considered your application dated 29.05.2013 for registration of **"Janta Dal Rashtravadi"** as a political party and the documents produced in support of the statements averments made contained in the said application and the submissions made by authorized representative(s) of the party before the Commission on 21.10.2013 in respect of the said application and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the Party under the said name in response to the Public Notice published by the applicant in the newspapers, has registered the **"Janta Dal Rashtravadi"** as a political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 on a date with effect from **09.01.2014**.

As provided in sub Section (9) of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head office, office-bearers, address or any other material matter. The communication of such changes shall be accompanied by the following:

- (i) An authenticated copy of the resolution passed by the competent body as prescribed in the party constitution and the full proceedings of the meeting in which the decision of such changes is taken.
- (ii) Names of the office-bearers attending the said meeting.
- (iii) An attested copy of the extract of attendance register bearing signature of participating members at the said meeting.

Tel: 011-23717391-98, Fax: 011-23713412, Website: www.eci.nic.in

Greater participation for a stronger democracy

It may be noted that the registration will not entitle the party to reservation of any exclusive symbol. The candidate elected by a party in election will be entitled to various rights of preference (allocation of free symbol) independent candidates. Paragraph 12 of the (Election Symbols (Reservation Allotment) Order, 1968). However, under the provisions of paragraph 10B of the said Order, the candidates of a registered un-recognised political party coming from a minimum of 10% of the seats at a general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of symbols available. It is provided that the Party shall not be entitled to be mentioned in the said Order. Please take note that the above facility of common symbol will be available to your Party at only one general election either to a Legislative Assembly or to the Lok Sabha, as your Party may opt for.

4. As per the provisions of Section 29B and 29C of the Representation of People Act, 1951 (dealing with contribution to political parties) the party is required to submit to the Commission a report of contribution received in excess of Rs. 20,000 in a financial year, in the format in Form 24A appended to the Conduct of Elections Rules, 1961. In such report, the party has to mention the Permanent Account Number (PAN) of the party. Therefore, you are advised to obtain Permanent Account Number (PAN) of the party and inform the details of the same to the Commission within six months of the registration.

5. The Registration No. of your party is **56/89/2013/PPS-I**.

6. It is also informed that the Commission is not concerned with the functioning of political parties.

Yours faithfully



(VARINDER KUMAR)
SECRETARY

F. No. 56/89/2013/PPS-C

Dated: 16th January, 2013

Copy to:

- (i) The Chief Electoral Officer, Bihar, Patna.
- (ii) The State Election Commissioner, Bihar, Patna
- (iii) Political Party Section-II
- (iv) Guard File



(VARINDER KUMAR)
SECRETARY



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

स्पीड पोस्ट द्वारा
निर्वाचन सदन

NIRVACHAN SADAN

अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI 110 001

फा0 सं0: 56/89/2013/रा0द0अनु0 1/889

तारीख: 16 जनवरी, 2014

सब में,

✓
अध्यक्ष,

जनता दल राष्ट्रवादी,

म0 न0 - 55/1, हारुन नगर कॉलोनी,

सैक्टर - 1, थाना व हाकधर - फुलवानी शरीफ,

पटना - 801505

बिहार ।

विषय:-

“ जनता दल राष्ट्रवादी ” - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में ।

भावार्थ:-

मुझे, यह कहने का निवेदन हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने “ जनता दल राष्ट्रवादी ”

के राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आपके तारीख 29.05.2013 के आवेदन और उस

आवेदन पत्र में विवरण/प्रकथन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधिगण द्वारा उक्त

आवेदन के सम्बन्ध में तारीख 21.10.2013 को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा

यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में

उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन “ जनता दल राष्ट्रवादी ” को

दिनांक 09.01.2014 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है ।

2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबन्धित दल

अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पता या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के

परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देना । इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दरतावेदों में

साथ भजी जाएगी:-

- (i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत्त जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
- (ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
- (iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

nd
ed
ty
e.

यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण पार्टी को राज्य जन-य विन्ह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं देता है।

1. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीक प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

2. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी को राज्य की विधान सभा निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

3. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी को राज्य की विधान सभा निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

4. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी को राज्य की विधान सभा निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

5. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी को राज्य की विधान सभा निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

6. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी को राज्य की विधान सभा निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

7. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी को राज्य की विधान सभा निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

8. लोक प्रतिकारण नियम, 1968 के पैरा 12 के अंतर्गत पंजीकरण पार्टी को राज्य की विधान सभा निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

भवदीय
 (वरिन्दर कुमार)
 सचिव

फा0 सं0: 56/89/2013/रा0द0अनु0-1
 प्रतिलिपि:-

तारीख: 16 जनवरी, 2014

1. मुख्य निरीक्षण अधिकारी, बिहार, पटना ।
2. राज्य निरीक्षण आयुक्त, बिहार, पटना ।
3. राजनैतिक दल अनुभाग - II.
4. आई आईसी

(वरिन्दर कुमार)
 सचिव

FORM A

Communication with regard to Authorised Persons to Intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political party or REGISTERED UN-RECOGNISED political party.

(See paragraph 13(c) . (d) and (e) of the Election Symbols

(Reservation and Allotment) Order, 1968.)

To,

1. The Chief Electoral Officer,
Bihar (State/Union Territory).
2. The Returning Officer for the
Buxar, 33 Parliamentary Constituency.


Sub: General Elections to House of People (Parliamentary Constituency) from Bihar (State/Union Territory) – Allotment of Symbols – Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorised by the party, which is National Party/State Party in the State of Bihar/Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District (s)/area (s) constituency/constituencies in respect of which he has been authorised.
1	2	3
1. Dilip Kumar Choudhary	State President, Bihar	Buxar
2. Abhay Kant Jha	National Secretary	All Constituencies of Bihar

Form A के B
 भाग 13 (c) के अंतर्गत (अनु)
 भाग 13 (c) के अंतर्गत
 23/03/2019
 03:35 PM



2. The specimen signatures of the above mentioned person (s) so authorised are given below :-

1. Specimen signatures of Shri Dilip Kumar Choudhary

(i) D.K. Choudhary (ii) D.K. Choudhary
(iii) D.K. Choudhary

2. Specimen signatures of Shri Abhay Kant Jha

(i) Abhay (ii) Abhay
(iii) Abhay

3. Specimen signatures of Shri

(i) (ii)
(iii)

Yours faithfully,

Firoz Akhtar
(Firoz Akhtar)
National President
Janta Dal Rashtravadi

Place : Patna.....

Date : 23/03/2014.....



NB.

1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.

FORM B

Notice as to name of candidate set up by the political party
See paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols
(Reservation and Allotment) Order 1968

To,

The Returning Officer for the
Buxar Parliamentary Constituency.

Sub: General/bye Election to House of People (Parliamentary Constituency) from Buxar
(Name of the Constituency) in Bihar (State/Union Territory) – setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of **Janta Dal Rashtravadi** party -

(i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and

(ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the constituency	Name of the approved candidate	Father's/Mother's/Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still contesting on the date	Father's/Mother's/Husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate
1	2	3	4	5	6	7
Buxar	Monibur Rahman	Lt. Mogibur Rahman	Babhnoul, Po. Babhnoul, Ps. Dawath, Rohtas			

*2. The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri..... as party's approved candidate/Shri/Smt./ Sushri as Party's substitute candidate is hereby rescinded.

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Yours faithfully,

D. K. Choudhary

(Dilip Kumar Choudhary)

State President, Bihar

Place: Patna.....

Date: 23/03/14..

* Score off, if not applicable.



- N.B.** 1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.
4. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.

FORM A

Communication with regard to Authorised Persons to intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political party or REGISTERED UN-RECOGNISED political party

(See paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols

(Reservation and Allotment) Order, 1968)

To,

1. The Chief Electoral Officer,
Bihar (State/Union Territory).
2. The Returning Officer for the
Buxar, 33 Parliamentary Constituency.


Sub: General Elections to House of People (Parliamentary Constituency) from Bihar (State/Union Territory) – Allotment of Symbols – Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorised by the party, which is National Party/State Party in the State of Bihar /Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District (s)/area (s) constituency/constituencies in respect of which he has been authorised.
1	2	3
1. Dilip Kumar Choudhary	State President, Bihar	Buxar
2. Abhay Kant Jha	National Secretary	All Constituencies of Bihar

Form A (Part B)
 Bihar (State/Union Territory)
 23/03/2019
 03:35 PM



2. The specimen signatures of the above mentioned person (s) so authorized are given below:-

1. Specimen signatures of Shri Dilip Kumar Choudhary

(i) [Signature] (ii) [Signature]
(iii) [Signature]

2. Specimen signatures of Shri Abhay Kant Jha

(i) [Signature] (ii) [Signature]
(iii) [Signature]

3. Specimen signatures of Shri

(i) (ii)
(iii)

Yours faithfully

[Signature]
(Firoz Akhtar
National President,
Janata Dal Rashtravaad)

Place : Patna.....

Date : 23/03/2014.....



NB.

1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.

FORM B

Notice as to name of candidate set up by the political party
See paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols
(Reservation and Allotment) Order 1968

To,

The Returning Officer for the
Buxar Parliamentary Constituency

Sub: General/bye Election to House of People (Parliamentary Constituency) from Buxar
(Name of the Constituency) in Bihar (State/Union Territory) – setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968, I hereby give notice on behalf of Janta Dal Rashtravadi party -

(i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and

(ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to(7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the constituency	Name of the approved candidate	Father's/Mother's/Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step in if the approved candidate's nomination being rejected or he or she withdrawing from the contest if substitute candidate is still contesting	Father's/Mother's/Husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate
	2	3	4	5		
Buzar	Monibur Rahman	Lt. Muqibur Rahman	Babhnoul, P.O. Babhnoul, P.S. Dawath, Rohtas			

2. The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri..... as party approved candidate/Shri/Smt./Sushri..... as Party's substitute candidate hereby rescinded.

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of a political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Yours faithfully,

D. K. Choudhary

(Dilip Kumar Choudhary)

State President, Bihar

Place: Patna.....

Date: 22/08/18..

Score off, if not applicable



- N.B.** 1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
 2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
 3. No form transmitted by fax shall be accepted.
 4. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.

भाग - III

मैं भाग I/भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ।

एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें,

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में जनता दल (राष्ट्रवादी) दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में जनता दल (राष्ट्रवादी) दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) बैट (बल्गा) (ii) X (iii) X

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी हिन्दी में (या का नाम) सही हैं।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाऊँ हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं मुस्लीम (मुस्लिम) जाति/जनजाति का सदस्य बिहार

उस राज्य में के बिहार संसदीय क्षेत्र - 33 से संबंधित अनुसूचित X

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

Mogibuz Rahman

दिनांक 26/03/2014

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हैं/ नहीं

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. नहीं
- (ii) पुलिस स्टेशन जिला (जिले) राज्य
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार्यें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें)
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें)
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थी
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाए) का निपटारा कर लिया गया है लंबित है
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति)

दिनांक 26/03/2014

स्थान जयपुर

Mohibul Rahman

अभ्यर्थी के ...

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 54/HP/2014/RO यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में
(तारीख) को 2.37(अप) बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

26.3.14

शब्द लागू न हो उसे काट दें।

26.3.14
रमणकुमार ऑफिसर
निर्वाची पदाधिकारी,
33-बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

भाग - V

निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

रिटर्निंग ऑफिसर



प्रारूप 26
नियम 4क देखिए
26/3/14
BUXAR



Mouibha K...
310
26/3/14
BUXAR Dist - Bihar

33 नं० कायद संयोज निवाचन क्षेत्र से

(निवाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर

के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं मोतीबुद्ध रहमान **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व मोतीबुद्ध रहमान आय 1,50,000// वर्ष, जो

ग्राम-पोस्ट - बगना, प्रखण्ड - दातवा, जिला - रोहतास

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं जनता दल राष्ट्रवादी (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 240 प्लेगारा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 168 के क्रम सं० 1083 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 9086287926 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) नहीं है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि है तो) नहीं है।

Handwritten signatures and stamps at the bottom left.

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं	नाही	नाही	नाही
2	पति या पत्नी	नाही	नाही	नाही
3	आश्रित-1	नाही	नाही	नाही
4	आश्रित-2	नाही	नाही	नाही
5	आश्रित-3	नाही	नाही	नाही

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का/की अभियुक्ति नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नाही
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नाही
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाही
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नाही
(ङ)	व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नाही
(च)	क्या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नाही

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/ हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाही
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	नाही
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नाही

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया/ नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नाही
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाही
(ग)	अधिरोपित दंड	नाही
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	नाही

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे देता हूँ



अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3	
(i)	हाथ में नकदी	90,000//	40,000//	कुदमी नहीं	कुदमी नहीं	कुदमी नहीं	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	पी०एन०बी० दावरी रोहतास A/C नं० 1544000 1000554 76// बैंक खातों के रकम/विवरण नं० 82 01/197 8533101 00 5843	श्रीमती के.क. बल्लाराम A/C नं० 5843				
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वित्तीय ऋण/अग्रिम और अन्य प्राप्ति के रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	




(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक. रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	रपार्क, फर 15/11/2015 2,00,000//				
(vii)	ज्वेरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना का पंजाबी कुल 35,000//	सीमा का मूल्य - 2,10,000// चांदी का 55,000//			
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य	2,35,000//	2,65,000//			

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 -संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 -प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	रपार्क रुद्धि				
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	रपार्क				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां				
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X				
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	13,00,000//	12,00,000//			
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	रपार्क संख्यांक	1/2 1251 परती उत्पत्ति परती के			
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1360	680			
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	नहीं			
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	रपार्क 2013			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X			



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं				
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नहीं				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं				
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं				
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं				
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नहीं				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं				
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नहीं				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं				
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं				
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं				
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं				
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं				



(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	नहीं				
------	--	------	--	--	--	--

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों के पृथक विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं			
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं			
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं			
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं			
(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं			
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	आय-कर शोध्य	नहीं	नहीं			
	धनकर शोध्य	नहीं	नहीं			
	सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं			
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	नहीं	नहीं			
	विक्रयकर शोध्य	नहीं	नहीं			
	कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं			
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों	नहीं	नहीं			



	का कुल योग	नहीं	नहीं			
iv	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं			

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... नहीं

(ख) पति या पत्नी..... नहीं

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

इंटर विज्ञान
एस. बी. सी. कॉलेज सादरग

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)


भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/श्री० गोपीबंद रंजन
2	डाक का पता	ग्राम-पारस - नगरपालिका, थाना - दालथ - विभाग - रातनास
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	१५० दिनारा लिहा २ -
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	जनतादल राष्ट्रीय
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	नहीं
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं

	स्थायी लेखा सं०	का लेखा	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी		नहीं	नहीं	नहीं
(ख) पति या पत्नी		नहीं	नहीं	नहीं
(ग) आश्रित		नहीं	नहीं	नहीं

8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं			
ख	स्थावर आस्तियां	नहीं	नहीं			
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नहीं	नहीं			
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं			
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं			
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं			
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं			
9	दायित्व	नहीं	नहीं			
	शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं			
	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य	नहीं	नहीं			



10.	से ऋण (कुल)	नाही	नाही		
	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	नाही	नाही		
(i)	सरकारी शोध (कुल)	नाही	नाही		
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नाही	नाही		

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

इन्डियन विज्ञान परामर्शीय कौशल केंद्र
सासाराम
मगध विश्वविद्यालय
सन् 1993

(प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय/ शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26/03/2014 को सत्यापित किया गया।



I solemnly swear that I am
Rakman who has signed
in my presence
Anand Kumar Singh
26/03/2014
Age 1993/90

Member Rakman
अभिसाक्षी

टिप्पण- 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण- 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण- 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण- 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण- 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण- 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 980-6287526.....

मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है..... (नहीं).....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... (नहीं).....

टिप्पण- 7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।


शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप
[भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क)]
[संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला]

मैं : Monibur Rahman जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।

Monibur Rahman
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

MONIBUR RAHMAN

श्री/श्रीमती मौनबुर रहमान ने आज दिनांक 26
(माह) मार्च 2014 को RO Office, Buxar (स्थान) पर 2:43 PM (बजे) मेरे
समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।


प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहार)